

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29)रानि/आकाशि/2019-20/ ~~621~~ - 625 दिनांक : 24/4/2019

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य निधि मद के अन्तर्गत माँग संख्या 30 में लेखा शीर्ष मद में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों को उनके सम्मुख बजट का आवंटन किया जाता है :-


माँग संख्या-30

2202	-	सामान्य शिक्षा
03	-	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
796	-	अनुसूचित जनजाति के लिए
01	-	राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)

(राशि लाखों में)

क्र.स.	राजकीय महाविद्यालय का नाम	05- कार्यालय मद
1	2	3
2	राजकीय महाविद्यालय, सपोटरा (31250)	0.30
3	राजकीय महाविद्यालय, बामनवास (31251)	0.30
4	राजकीय महाविद्यालय, सराडा (31252)	0.30
5	राजकीय महाविद्यालय, कुम्भलगढ (31253)	0.30
6	राजकीय महाविद्यालय, सिकराय (31254)	0.30
7	राजकीय कन्या महाविद्यालय, खेरवाडा (31269)	0.30
8	राजकीय महाविद्यालय, धरियावाद (31594)	0.30
9	राजकीय महाविद्यालय, चौमहला (33051)	0.30
10	राजकीय महाविद्यालय, छोटी सादडी (33060)	0.30
11	राजकीय महाविद्यालय झाडौल (32426)	0.30
12	राजकीय महाविद्यालय सीमलवाडा (33375)	0.30
13	राजकीय महाविद्यालय लसाडिया (33380)	0.30
14	राजकीय महाविद्यालय बिच्छीवाडा (35087)	0.30
15	राजकीय महाविद्यालय रेवदर (35100)	0.30
	योग	4.50

व्यय विभागीय निर्देश एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना कर किया जावे।


(एन.एल.शर्मा)


वित्तीय सलाहकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29)रानि/आकाशि/2019-20/ ~~621~~ - 625 दिनांक : 24/4/2019

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि मासिक व्यय विवरण के साथ उक्त राशि के व्यय का विवरण भी भेजे।
3. वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

वेब फाइल पर अपलोड कागजात -


वित्तीय सलाहकार